



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के पुनर्जीवन और पुनर्वास पर दिशानिर्देश का ढांचा

एमएसएमई खातों में तनाव को दूर करने के लिए सरल, तेज और पारदर्शी तंत्र प्रदान करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने एमएसएमई के पुनर्जीवन और पुनर्वास के लिए एक दिशा निर्देशों का एक ढांचा अधिसूचित किया था।

इसी सन्दर्भ में एयू स्माल फाइनेंस बैंक ने रुग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए पदांकित अधिकारियों एवं समिति का गठन किया है।

यह योजना एमएसएमई खातों पर लागू होती है जो रु. 25 करोड़ तक की सीमा के हैं।

इस ढांचे में निर्धारित नियमों के अनुसार हम सभी योग्य माईक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को उचित अभिगम देंगे जिन्होंने खाते में तनाव को हल करने के लिए हमारे बैंक से ऋण लिया है।

गठित समिति “कर्रेक्टिव एक्शन प्लान” (CAP) के अधीन खाते में तनाव को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाएगी।